न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:– 55/2022
पीठासीन अधिकारी:– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)
निर्णय दिनांक:– 27.09.2024

छीतर पुत्र भूरा जाति जाट निवासी ग्राम छापरी तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला दूदू।
2. पांचूलाल चन्देल पुत्र कल्याण जाति खटीक निवासी ग्राम पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता:– श्री विनोद कुमार जैन वकील प्रार्थी

प्रार्थना पत्र तरमीम दुरूस्ती नक्शा ट्रेस

निर्णय दिनांक:– 27.09.2024

प्रार्थना पत्र के तथ्य सक्षेप मे इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1254/760 रकबा 0.5184 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम छापरी तहसील फागी जिसकी खातेदारी प्रार्थी के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा खसरा नम्बर 1256/760 रकबा 0.5058 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम छापरी तहसील फागी की भूमि अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, उक्त भूमि का आगे के पैराज में विवादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया गया है। ग्राम छापरी में ही प्रार्थी की अन्य पैत्रक खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 761, 762, 763, 764 व अन्य खसरा नम्बरान की भूमि है जिसके लगवा ही उक्त मूल खसरा नम्बर 760 की भूमि थी जिस पर खसरा नम्बर 761 के लगवा की भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होने व उसके भूमि हीन होने से उसे राज्य सरकार के द्वारा भूमि अलॉट की गई तथा जहां प्रार्थी काबिज था वहीं पर उसे काबिज रखते हुए भूमि अलॉट कर उक्त खसरा नम्बर 760 में से नया बटा नम्बर डालते हुए नया खसरा नम्बर 760/1 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1254/760 प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज कर दी लेकिन राजस्व कर्मचारियों के द्वारा वरवक्त अलॉटमेंट उक्त नम्बर की तरमीम नहीं की गई इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 के पूर्व खातेदार को भी भूमि अलॉट की गई जिसके बटा नम्बर वर्तमान खसरा नम्बर 1256/760 है की खातेदारी दी गई उक्त मूल अलॉटी से अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त भूमि क्रय कर ली। वरवक्त अलॉटमेंट राजस्व कर्मचारियों के द्वारा भूमि अलॉटमेंट करते समय राजस्व नक्शे में मुताबिक अलॉटमेंट व सुपुर्द किये गये कब्जेअनुसार तरमीम नही की गई जबकि कब्जा प्रार्थी का अपनी पैत्रक आराजी के लगवा आज दिन तक निरंतर चला आ रहा है। अभी कुछ समय पूर्व राज्य सरकार के द्वारा समस्त राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाईन किये जाने के साथ सभी राजस्व

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

नक्शों में तरमीम की जा रही है जिसके तहत उक्त मूल खसरा नम्बर 760 की भी तरमीम की गई लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने बिना मौके पर गये ही भौतिक स्थिति की जानकारी किये बिना और बिना पक्षकारों को सूचित किये प्रार्थी के खसरा नम्बर 1254/760 व अप्रार्थी संख्या 2 के आराजी खसरा नम्बर 1256/760 की तरमीम गलत तरीके से करते हुए जहां प्रार्थी काबिज था वहां अप्रार्थी संख्या 2 की आराजी भूमि की तथा जहां अप्रार्थी संख्या 2 काबिज था वहां प्रार्थी की आराजी भूमि की तरमीम कर दी जो कि काबिले दुरुस्त है। वास्तविकता में वर्तमान नक्शे में जहां प्रार्थी के खसरा नम्बर 1254/760 दर्शित है वहां अप्रार्थी संख्या 2 काबिज है और जहां अप्रार्थी संख्या 2 के खसरा नम्बर 1250/700 दर्शित है वहां प्रार्थी काबिज है और उक्त कब्जा प्रार्थी व अप्रार्थी का अलॉटमेंट के समय के पूर्व से ही चला आ रहा है। विवादग्रस्त आराजी के मूल खसरा नम्बर 700 थे जिसमें से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के विक्रेता खातेदार को अलॉटमेन्ट कमेटी द्वारा मौके पर काबिज काश्त कब्जेनुसार आराजी अलॉटमेंट की गई तथा मूल खसरा नम्बर के बट्टा नं. 1254/760 व 1256/760 डालते हुये आराजी को विभक्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया। मगर राजस्व कार कानूनगो द्वारा विवादग्रस्त आराजी के मूल खसरा नम्बर 760 के नक्शा ट्रेस में पक्षकारो की किसी प्रकार की तरमीम नहीं की गई और सभी खातेदार मूल खसरा नम्बर 760 पर अपने अपने हिस्से अनुसार मोके पर काबिज काश्त चले आ रहे है अभी वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के आदेशानुसार जिन खसरा नम्बरान में तरमीम नही है वंहा पर मौके पर काबिज काश्त के आधार पर खातेदारान् की सुनवाई करते हुए सहमति अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम की जावें । जिस पर हल्का पटवारी के द्वारा मौके की बिना जांच कब्जे सीधे रूप से उक्त मूल खसरा नम्बर 760 में तरमीम कर दी गई जिसके प्रार्थी जहां काबिज काश्त था उक्त जगह की तरमीम नही कर जहां अप्रार्थी संख्या 2 काबिज था वहां प्रार्थी की भूमि के खसरा नम्बर 1254/760 की तरमीम कर दी और जहां प्रार्थी काबिज था वहां अप्रार्थी संख्या 2 के खसरा नम्बर 1256/760 की तरमीम कर दी जिसके प्रार्थी पीडित है और उसकी निम्न तथ्यो के आधार पर तरमीम दुरस्ती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है :–

मूल खसरा नम्बर 760 में विभिन्न खातेदारान् को भूमि अलॉट हुई है तथा जिनके खातेदारी में बट्टा नम्बर डालते हुए ही उक्त अनुसार जंहा मौके पर खातेदार काबिज है उक्त अनुसार तरमीम की जानी चाहिये लेकिन वास्तविक मौके के अनुसार तरमीम नही की गई जो दुरस्ती काबिले है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1254/760 है प्रार्थी वरवक्त अलॉटमेन्ट के समय से अपने पूर्वजों की भूमि खसरा नम्बर 761, 762, 768, 764 व अन्य लगवा खसरा नम्बरान के लगवा ही मौके पर

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

काबिज काश्त चला आ रहा है तथा उसी जगह नक्शा ट्रेस में प्रार्थी की तरमीम की जानी चाहिये लेकिन प्रार्थी के कब्जे वाली भूमि की जगह राजस्व कारकानूनों ने अप्रार्थी संख्या 2 के खसरा नम्बर 1256/760 की बिना कब्जे तरमीम कर दी जबकि अप्रार्थी संख्या 2 का उक्त जगह कभी कब्जा काश्त नही रहा। इस प्रकार उक्त तरमीम बिना कब्जे के की गई तरमीम है जो कि काबिले दुरूरत है। राजस्व कर्मचारियों के द्वारा की गई उक्त तरमीम बिना मौके की जांच किये कार्यालय में बैठकर की गई तरमीम है जो कि वास्तविकता से परे हैं तथा गलत है जिस आधार पर उक्त तरमीम दुरुस्त की जानी न्याय हित में आवश्यक है। उक्त प्रकार से की गई तरमीम नैसर्गिक न्याय के बिलकुल विपरीत होने से काबिले दुरुस्त है। उक्त प्रकार से की गई तरमीम से पक्षकारों के मध्य विवाद होने की पूरी पूरी सम्भावना है जो कि कानून व्यवस्था के लिये कतई ठीक नहीं है जिस आधार पर भी उक्त तरमीम दुरूस्त की जानी आवश्यक है। अप्रार्थी के नाम राजस्व नक्शे में गलत तरमीम हो जाने से उसकी नियत में फितूर उत्पन्न होने लगा और वह गलत तरमीम के आधार पर मौके पर जबरन कब्जा करना चाहता है। अप्रार्थी गलत तरमीम के आधार पर प्रार्थी के कब्जे काश्त वाली भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है जिस हेतु अप्रार्थी अभी दिंनाक 22.08.2022 को मौके पर आया जंहा प्रार्थी काबिज काश्त है पर जबरन कब्जा करने पर उतारू हो गया जिसका प्रार्थी ने विरोध किया कि इस जगह पर प्रार्थी वर्षो से काबिज है अप्रार्थी का इस जगह से कोई सम्बंध व सरोकार नही है जिस पर अप्रार्थी काफी उग्र हो गया और उसके द्वारा नक्शे की कॉपी बताते हुए कहा कि इस जगह की तरमीम उसके नाम दर्ज है वह इस जगह जबरन काश्त करके ही रहेगा जिस पर प्रार्थी के द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेजात की नकले प्राप्त की गई जिस पर प्रार्थी के लिए आवश्यक हुआ कि वह अपने कब्जे की अनुसार तरमीम दुरस्त करावें। अप्रार्थी को गलत तरमीम के आधार पर कब्जा करने का कानूनी कोई अधिकार नही है। राजस्व कर्मचारियों ने जिस प्रकार से गलत तरमीम करते हुए नक्शा ट्रेस में इन्द्राज किया है उसके अनुसार जहां प्रार्थी के खसरा नम्बर 1254/760 दर्शित है वहां अप्रार्थी संख्या 2 काबिज है और जहां अप्रार्थी संख्या 2 के खसरा नम्बर 1256/760 दर्शित है वहां प्रार्थी काबिज है और इसी अनुसार तरमीम की जानी चाहिये थी लेकिन जिस प्रकार से बिना कब्जे के सीधे ही जो उपरोक्तानुसार तरमीम की गई है वह न्यायहित में दुरुस्त की जानी आवश्यक है। अप्रार्थी गलत तरमीम के आधार पर जबरन कब्जा कर लेगा तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति नही हो सकेगी जिसके लिए अप्रार्थी को पाबन्द किया जाना आवश्यक है। विवादित भूमि वाके ग्राम छापरी तहसील फागी में स्थित है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त है।

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 1 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित आये तथा जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया एवं अपने जबाब मे बताया की ग्राम छापरी की जमाबन्दी सम्वत 2076 से स्थाई खाता सं0 52 मे खसरा नम्बर 1254/760 रकबा 0.5184 है0 छीतर पुत्र भूरा जाति जाट सा0देह खातेदार राहिन पी0एन0बी0 शाखा मण्डोर दर्ज रिकार्ड है। खाता सं0 93 मे खसरा नम्बर 1256/760 रकबा 0.5058 है0 पांचूलाल चन्देल पुत्र कल्याण जाति खटीक सा0पीपलू जिला टोक खातेदार दर्ज रिकार्ड है। ग्राम छापरी के नामान्तकरण सं0 132 दिनांक 30.03.1976 द्वारा खसरा नम्बर 760/1 वर्तमान खसरा नम्बर 1254/760 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा भूमि छीतरमल पुत्र कौम जाट सा0देह गैर खातेदार तथा नामान्तकरण सं0 83/14.06.1972 द्वारा खसरा नम्बर 760/3 वर्तमान खसरा नम्बर 1256, 1255/760 रकबा 07 बीघा 19 बिस्वा भूमि नारायण पुत्र बिरदा कौम बैरवा सा0देह गैर खातेदार के नाम से भूमि आवंटन का सामान्तकरण दर्ज किया गया। ग्राम छापरी के ख0न0 761, 762, 763, 764 वगै0 रामध पुत्र भूरा हिस्सा 1/3, सायर पुत्र भूरा हिस्सा 1/3, छीतर पुत्र भूरा हिस्सा 1/3 की खातेदारी भूमि दर्ज होकर संलग्न डी0आई0एल0आर0एम0पी0 नक्शा ट्रेस अनुसार खसरा नम्बर 1256/760 के लगवा है। नक्शा लठ्ठा अनुसार खसरा नम्बर 760 के नये बट्टा नम्बरों की तरमीम नही की हुई है। नामान्तकरण सं0 396 दिनांक 07.06.2000 द्वारा विक्रय पत्र से खसरा नम्बर 1256/760 रकबा 0.5058 है0 नारायण पुत्र बिरदा सा0देह से पांचूलाल चन्देल पुत्र कल्याण जाति खटीक सा0पीपलू जिला टोंक खातेदार स्वीकृत है। नक्शा लठ्ठा अनुसार खसरा नम्बर 760 के नये बट्टा नम्बरों की तरमीम नही की हुई है।

अप्रार्थी सं0 2 वाद तामिल भी हाजिर अदालत नही आये। अप्रार्थी सं0 2 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।,

बहस एकतरफा सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस मे अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की मुताबिक जमाबन्दी संम्वत 2076 से स्थाई खाता सं0 52 मे खसरा नम्बर 1254/760 रकबा 0.5184 है0 छीतर पुत्र भूरा जाति जाट सा0देह खातेदार राहिन पी0एन0बी0 शाखा मण्डोर दर्ज रिकार्ड है। खाता सं0 93 मे खसरा नम्बर 1256/760 रकबा 0.5058 है0 पांचूलाल चन्देल पुत्र कल्याण जाति खटीक सा0पीपलू जिला टोक खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे बताया है

लगातार.....5

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

कि वर्तमान नक्शे मे ख0न0 1254/760 दर्शित है वहा अप्रार्थी सं0 2 का कब्जा है तथा जहॉ खसरा नम्बर 1256/760 दर्शित है वहा प्रार्थी के ख0न0 1254/760 का कब्जा है। तहसीलदार फागी ने भी अपने जबाब मे बताया की मूल खसरा नम्बर 760 के बट्टा नम्बर डलने के पश्चात उक्त खसरा नम्बरान की तरमीम नही की गई। उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझंते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तरमीम दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1254/760 रकबा 0.5184 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1256/760 रकबा 0.5058 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम छापरी तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू मे स्थित आराजीयात की वर्तमान तरमीम को निरस्त किया जाकर ख0न0 1254/760 के स्थान पर ख0न0 1256/760 तथा ख0न0 1256/760 के स्थान पर ख0न0 1254/760 की तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

27/9/24

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू